फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अ... उपखण्ड अधिकारी मुकाम भादरा

रणजीत बनाम गोरा आदि

किस्म मुकदमा 88-89 R.T.Act नं. 101/26.05.18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
26.05.18	आज मंह पत्रावली नायब [illegible] केस कानूनगो के पेश हुई वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। उभय पक्ष के ओर राजीनामा पेश किया गया जो का तस्दीक साबित किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 तीनों [illegible] के बयान ही [illegible] वादी की [illegible] मुलाजा का वादी मुताबिक राजीनामा [illegible] [illegible] व [illegible] की [illegible] [illegible] 2 [illegible] के [illegible] 43/41 मु. 26 व [illegible] 22 व 25 मु. 13 [illegible] 2 व 9 [illegible] 12, 13 कुल 3.542 है [illegible] के प्रतिवादीगण 1 व 2 के [illegible] वादी को [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] और [illegible] पर नियमानुसार [illegible] [illegible] व [illegible] मुजब [illegible] अदि [illegible] के 2[illegible] [illegible]	रणजीत [illegible] Ushua अंगूठा गोरा अंगूठा सोना [illegible]

त्यारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
	2 इन [illegible] के पश्चात् [illegible] को [illegible] [illegible] -2 [illegible] पत्रावली [illegible] हो। (signature) अध्यक्ष लोक अदालत भादरा कैम्प (signature) सदस्य लोक अदालत भादरा	

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 101/18

अनवान : 1. रणजीत उर्फ जीताराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा हाल चक 2 बारानी तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. गोरा पुत्री हंसराम जाति जाट निवासी खेड़ी हाल निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. सोना पुत्री हंसराम जाति जाट निवासी खेड़ी हाल निवासी गाँव झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प करणपुरा में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 बारानी के खाता संख्या 43/41 मु0न0 26 किला न 22 ता 25, मु0न0 31 किला न0 2 ता 9, 12, 13 कुल 3.542 है0 बारानी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ